231

संख्याः– /XVIII(II)/2012–01(47)/2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः15 अप्रैल, 2013

विषयः–मै0 खन्ना आटोमार्ट,प्रा0लि0 नई दिल्ली को ग्राम मखियाली दुन्दी परगना मंगलौर, जनपद हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/सर्विस स्टेशन की स्थापना) हेतु 0.369 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक,आपके पत्र संख्या–1118/भूमि व्यवस्था–2011 दिनांक–30.04.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 खन्ना आटोमार्ट प्रा0लि0 नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/सर्विस स्टेशन की स्थापना) हेतु ग्राम मखियाली दुन्दी,पगरना मंगलौर जनपद हरिद्वार में आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्या–22म के अन्तर्गत 0.369 है0 भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन)अधिनियम,2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा– 154 (4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति /सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा,उसी प्रयोजन (हुण्डई कार शोरूम/सर्विस स्टेशन की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के

23

.....2

न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शोरूम/सर्विस स्टेशन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कार शोरूम/सर्विस सेन्टर हेतु ही किया जायेगा।

10– इकाई को सेवा उद्यम की स्थापना हेतु सम्बन्धित जनपद में ई.एम.पार्ट–1 व ई.एम. पार्ट–2 फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

11. इकाई को प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉं/स्वीकृतियॉं प्राप्त कर ली जायेगी।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एंव इस शासनादेश के अनुपालन स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 345 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव,उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– प्राधिकृत हस्ताक्षरी,खन्ना आटोमार्ट,प्रा0लि0,मंगलौर रोड,रूडकी।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी गीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।